राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ. 2(क)/ए–379/2011/अलेसे–I/1139 दिनांकः– 22/12/21

आदेश

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11696/2019 द्वारा श्री अशोक कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच ने अपने निर्णय दिनांक 13.07.2021 द्वारा निर्देशित किया है कि "The present writ petition is, therefore, disposed of with the direction to the petitioner to file fresh representation along with the copy of judgments he wants to rely upon and a certified copy of the order instant, within a period of 15 days from today. The competent authority is directed to consider the same and do the needful in accordance with law as early as possible."

श्री अशोक कुमार 2011 बैच के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्मिक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर अनुसार इनकी मेरिट 379/2011 है तथा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पद पर कार्यग्रहण तिथि 10.06.2014 है। श्री अशोक कुमार अपने से कनिष्ठ कार्मिक श्री राधेश्याम मीणा जिनकी मेरिट 380/2011 एवं कार्यग्रहण तिथि 04.02.2013 है, के समान नियुक्ति तिथि मानकर श्री मीणा के समान वेतन उन्नयन की मांग की है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 13.07.2021 के क्रम में श्री अशोक कुमार द्वारा अपना अभ्यावेदन इस निदेशालय में 15 दिवस में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं अन्य कोई न्यायिक निर्णय प्रस्तुत नहीं किया है।

यह सत्य है कि अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदत्त मेरिट अनुसार निर्धारित होती है तथा कनिष्ठ कार्मिक के अधिक वेतन प्राप्त करने पर वरिष्ठ कार्मिक का वेतन भी उसके समान किए जाने का राजस्थान सेवा नियमों में प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियम लागू नहीं होते, क्योंकि श्री अशोक कुमार ने कनिष्ठ कार्मिक श्री राधेश्याम मीणा के बाद में राज्य सेवा में कार्यग्रहण किया है तथा वार्षिक वेतन वृद्धि एवं स्थिरीकरण कर्मचारी की सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित होते हैं न कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की मेरिट अनुसार। श्री अशोक कुमार द्वारा श्री राधेश्याम मीणा के समान वेतन उन्नयन प्रदान करने का आवेदन किया है। यह तब ही न्यायोचित उचित होता जब दोनों कार्मिकों ने एक ही दिन कार्यग्रहण किया होता अथवा दोनों अर्थात् वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्मिकों की एक समान परिस्थितियों में कनिष्ठ कार्मिक अधिक वेतन प्राप्त कर रहा होता परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं है। श्री अशोक कुमार ने दिनांक 10.06.2014 को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर कार्यग्रहण किया है, जबकि श्री राधेश्याम मीणा ने दिनांक 04.02.2013 को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर कार्यग्रहण किया है। अतः विलंब से कार्यग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार को श्री राधेश्याम मीणा के समान वेतनमान एवं वेतन स्थरीकरण की मांग स्वीकार योग्य नहीं है।

पदोन्नति हेतु न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति की जाती है। श्री अशोक कुमार ने विलंब से कार्यग्रहण किया था। पदोन्नति समिति ने पदोन्नति की अनुशंषा नहीं की है। अतः अशोक कुमार की पदोन्नति संबंधी मांग स्वीकार्य योग्य नहीं है।

उपरोक्त आधारों पर श्री अशोक कुमार का अभ्यावेदन एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक

D:\2016\goyal-j\Order.docx

दिनांकः— 22/12/21

क्रमांकः— एफ. 2(क)/ए—379/2011/अलेसे—I/ 1139

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर (सिरोही)।
2. श्री अशोक कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I, कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर (सिरोही)।
3. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
4. कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट हेतु।
5. निजी/गार्ड फाईल।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—I)

D:\2016\goyal-j\Order.docx